

6659

325000

6551

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु. 10000

भारत



सत्यमेव जयते

INDIA

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

झारखण्ड JHARKHAND



इस्तावेज नंवांस ला०न०-111/03
मेदिनीनगर पलामू



3

[Signature]

06/12/18

AD 11250-

ce 2.5

10,000

11253.49

विक्रय-पत्र

1. लेख्यकारी का नाम एवं पुरा पता:-

श्रीमति अनु देवी पति का नाम श्री विजय कुमार गुप्ता
कायम जाति बनियाँ निवास स्थान ग्राम बारालोटा, थाना
मेदिनीनगर, जिला पलामू झारखण्ड पेशा गृहणी.
नागरिकता भारतीय।


आधार नं० -9251 4986 0816

रुपया पाकर 375000
श्री उज्ज्वल देवी
शुभ सुभाषलव शुभ डाक डि-डील जमिन
देवी और कपाल कदकर समुदाय 003016
6.12.18

विजय कुमार गुप्ता
स्व: पालिका प्रमुख
वारिसा इन्डिया
पलामू
6.12.18

6/12/18

6.12.18



//2//

2. लेख्यधारी का नाम एवं पूरा पता:-

श्री अशोक कुमार पिता का नाम श्री मुखलाल राम, जाति कहार,
निवास स्थान ग्राम बारालोटा, थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू,
झारखण्ड पेशा व्यवसाय, नागरिकता भारतीय।

आधार नं० - 8507 4001 7034

3. लेख्य प्रकार:- विक्रय पत्र (Sale Deed)

4. मूल्य:- (क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य:- मो०
2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रुपये मात्र।

(ख) देय मूल्य:- मो० 3,75,000/- (तीन लाख पचहत्तर
हजार) रुपये मात्र।

(ग) मौजा बारालोटा का आवासीय रेट मो० 2,11,750/-
रुपये मात्र प्रति डी० के दर से

(5) सम्पत्ति का विवरण:- मवाजी 1.18 (एक दशमलव एक
आठ) डिसमील जमीन अन्तर्गत मौजा बारालोटा, अंचल कार्यालय
मेदिनीनगर जिला पलामू। इलाके एवं जिला अवर निबन्धन

अशोक कुमार

6.12.18

श्री प्रकाश तिवारी
श्री दीपकप्रसाद तिवारी
मो० - बारालोटा
थाना - मेदिनीनगर पलामू
6.12.18

//3//

कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू हकियत लेख्यकारी को खरीदगी रैयती जमीन हासिल है। बिक्री भू-खण्ड उत्तर से दक्षिण दोनों भुजा 8 (आठ) फीट चौड़ा है।

बिक्री की जाने वाली सम्पति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना नं०	तौजी नं०	खेवट नं०	हो० नं०
बारालोटा	198	58	1 स्टेट झारखण्ड	4587

खाता नं०	प्लॉट नं०	बिक्री रकवा डी० में
32 (बतीस)	21 (ईक्विस)	1.18 (एक दशमलव एक आठ) डिसमील

चौहदी:-

उत्तर :- जागो देवी

दक्षिण :- नीज विक्रेता

पूरब :- इसी प्लॉट का शेष भाग

पश्चिम :- पूर्व से 20 फीट चौड़ा रोड

वार्षिक लगान अनुमानित:- मो० 2/- रुपये अलावे सेस।

नाम मालिक :- झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी सदर मेदिनीनगर जिला पलामू।

डा. ए. ए. सि
6.12.18

सादी वासु नाथ
अकण्डु रचयन
मेदिनीनगर 4/12/18
6/12/18

//4//

विदित हो कि उपरोक्त खाना संख्या पाँच की वर्णित सम्पत्ति लेख्यकारी ने स्वयं एवं अपने पति विजय कुमार गुप्ता के साथ मिलकर क्रय किये है। जिसका केवाला नं० 8157 है, जो जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर में दिनांक 02.08.2005 को निबंधित हुआ है। नामांतरण होकर डिमाण्ड होल्डिंग नं० 4587 पर चलता है। उक्त भू-खण्ड पर लेख्यकारी का निर्विवाद रूप से दखल कब्जा चला आ रहा है। इस जमीन पर लेख्यकारी के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का स्वामित्व हक अधिकार हिस्सा अथवा दखल-कब्जा नहीं है और ना ही इस सम्पत्ति पर आज तक किसी भी प्रकार का ऋणभार अथवा वारदैन किया गया है। ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद ही है। संक्षेप में यह जमीन सभी दोषों से मुक्त है तथा ऋणभार से पूर्णतः मुक्त है।

यह कि लेख्यकारी को रुपये की सख्त जरूरत अपना विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्ते है, जिसका प्रबंध अपने पास से या अन्यत्र से कर पाने के लिए संभव प्रतित नहीं हुआ। एतएव इस संबंध में लेख्यकारी ने अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यों से अच्छी तरह से विचार विमर्श किये और सर्वसम्मति से यही निश्चय किया कि उपर खाना संख्या पाँच में उपर वर्णित जमीन को बिक्री कर दिया जाय, इसके मूल्य से प्राप्त राशि से अपने आवश्यक कार्य को पुरा किया जाए।

लेख्यकारी उपर वर्णित जमीन की बिक्री की चर्चा कई व्यक्तियों के समक्ष किया तथा इस बात का प्रचार भी कराया परिणाम स्वरूप कई सम्भावित खरीददार आए सबों ने इसको अलग-अलग मूल्यांकन किये परन्तु अंत में लेख्यकारी ने भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आकर इसका भलि-भाँति

6.12.18

//5//

निरीक्षण किये तथा इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए इसका आज के बाजार भाव के मुताबिक उचित तथा अधिकतम देय मूल्य निर्धारित किये तथा इसी निर्धारित मूल्य में इसे स्वयं ही अपने नाम से हमेशा के लिए खरीदना भी स्वीकार किये। लेख्यकारी ने भी इस मूल्यांकन को प्रत्येक बिन्दु से उचित और अधिकतम मूल्य देखकर बिक्री का सौदा क्रेता के साथ पक्का कर दिया।

यह कि देय मूल्य की पूरी राशि लेख्यधारी ने लेख्यकारी को भुगतान कर चुके हैं। अब इसके मूल्य की रकम में से लेख्यकारी को लेख्यधारी से कुछ भी पाना बाकी नहीं रह गया है। इस प्रकार से इसकी मूल्य की पूरी राशि की वसूली के साथ ही यह केवाला (विक्रय पत्र) आज से पुरी तरह से असर में आ गया और इसके लेख्यकारी ने उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित सम्पति पर से अपना सम्पूर्ण स्वामित्व तथा दखल कब्जा हटाकर इस पर खास लेख्यधारी को स्वामित्व तथा दखल कब्जा दे दिया। इस प्रकार से इस वर्णित सम्पति के सम्बन्ध लेख्यकारी को आज तक जो भी हक अधिकार तथा सुविधाएँ प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होते वे सब अब ज्यों के त्यों लेख्यधारी को प्राप्त हुए तथा अब लेख्यधारी को अधिकार प्राप्त हुआ कि इसका अपनी इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग कर के लाभ उठावें। इसमें अपनी इच्छानुसार घर का निर्माण करा कर अपने परिवार सहित निवास करें, चाहरदिवासी के अन्दर लावें या किराये पर लगावें अथवा जैसा उचित समझे इसका इस्तेमाल करें। इससे लेख्यकारी एवं इनके उत्तराधिकारीयों अथवा स्थानापन्न को कुछ भी संबंध या सरोकार नहीं रहा और न भविष्य में कभी रहेगा।

31.2.18

6.12.18

//6//

यह कि इस जमीन के संबंध में लेख्यधारी को चाहिए कि झारखण्ड सरकार के सिरिस्ते में इस सम्पत्ति का दाखिल खारिज भी अंचल ऑफिस मेदिनीनगर पलामू के द्वारा स्वयं अपने नाम से करा लें तथा इसके लगान की रसीदों को भी स्वयं अपने नाम से प्राप्त किया करें।

मैंने लेख्यधारी को अच्छी तरह समझा दिया है कि उपर वर्णित जमीन में इसके लेख्यकारी के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान से ऋण इत्यादि नहीं लिया गया है। इस तथ्य के विपरीत कोई बात पायी जाती है तो इसकी भरपायी लेख्यकारी करने को सदैव तैयार रहेंगे।

इस दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि वन विभाग की भूमि मंदिर-मस्जिद की भूमि, भूदान से प्राप्त भूमि नहीं है तथा किसी प्रकार से प्रतिबंधित भूमि नहीं है तथा इसके हस्तान्तरण से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं हो रहा है।

लेख्यकारी इस विक्रय पत्र में वर्णित सभी बातों को पढ़ कर एवं पढ़वा कर ठीक एवं सही लिखा पाकर अपने शरीर एवं मन की पूर्ण स्वस्थता में बिना किसी डर भय दबाव के इस दस्तावेज का निष्पादन स्वतंत्र गवाहों के समक्ष कर दे रहे हैं और निबन्धन कार्यालय से निबंधित करवा दे रहे हैं जो सम्पत्ति हस्तान्तरण का स्थायी प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

टंकक

लव

81.2.19
2019

Ashok Kumar

6.12.18



दस्तावेज नवीस ला०न०-111/03
मेदिनीनगर पलाम



मैं किस्त मेहता दस्तावेज नवीस ला. न. 111/03 खान मेदिनीनगर
प्रमाणित करता हूँ कि दस्तावेज में जिस-जिस व्यक्ति का हाथ-चित्र
लगा है का वही हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मेरे सामने
लिखा गया है ता: 06.12.18

मजदूरनकरा → किस्त मेहता दस्तावेज नवीस ला. न. 111/03
खान मेदिनीनगर. केवाला बंद कर दोनों पक्षों को सुना-
सनाका दिया खरी पा कर अपना-अपना हस्ताक्षर बना
दिये ता: 06.12.18

6.12.18
3/12/18

विधित हो कि उपरोक्त जगह से 50 पांच में विधित
 मूसापति को मैं स्वयं से क्रय कर प्राप्त की हूँ, जिसका केवाला नं०
 505 वुक 1 मालूम नं० 29 पेज नं० 251 से 276 तक वास्ते वर्ष 2018
 है। नामान्तरण होकर निम्न मेरे नाम से काय्यटरीकृत वर्तमान
 मात्र 50 एवं पृष्ठ सं० 7 पर करता है। उपरोक्त मूखण्ड पर मेरा
 कलकत्ता शान्ति रूप से क्रय हुआ है तर्हसे पाकवो साफ है।
 किसी तरह का नुक़स नहीं ही आएगा तो उसकी सारी जिम्मेवारी
 मेरी होगी।

यह कि इस सम्पत्ती रूपये की सख्त अन्तरत विधिक
 आवश्यकताओं की पूर्ण सिखाइये लिये उक्त मूखण्ड विक्री क्रिये वगैर रूपये
 का प्रबंध अन्य श्रोत्से होना सम्भव प्रतित हुआ, इसलिए उक्त सम्पत्ति
 विक्री करने का घोषणा किया तो घोषणा की सखर पार क्रेता
 के लोवा अन्य कं चहुक व्यक्त आये परन्तु सबसे अधिकतम क्रेता ही
 देने के लिए तैयार हूँ। इस कारण उक्त सम्पत्ति का सौदा क्रेता के साथ
 पक्का कर दिया।

यदि मैं अपने हौसों ख्याल में अपना लाम्हानि को अच्छी
 तरह से सोच समझ कर तथा किसी के दबाव या बलकावे में न पड कर उक्त
 सम्पत्ति क्रेता के नामसे हस्तान्तरण कर दिया तथा उक्त सम्पत्ति पर
 का अपना पूरा का पूरा दखल कब्जा, अधिकार व स्वामियव उठा कर
 जाय ही क्रेता को सौंप दिया।

यह कि ज़र सम्मन की सुरक्षा वसुल पा चुकी है और अब
 क्रेता से एक रुपया भी पाना बाकी नहीं है और न कभी मांग करूंगी।

यह कि क्रेता को चाहिए कि केवाला को उक्त कार्यालय में
 प्रस्तुत कर नामान्तरण करा कर वो सलाना माल लेकर मालगुजारी की
 रसीद हर साल प्राप्त किया कर एवं उक्त सम्पत्ति पर अपनी इच्छानुसार
 मकान बनवाकर निवास करे या जैसे भी चाहे अपन अमलमें लाये इससे
 मुझे या मेरे वारिसान को कौरे जापत न ही होगी।

सं - 514
 सं - 514
 सं - 514

सं - 514